**भारत सरकार**

**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 758**

**दिनांक 16 अगस्त, 2012 को उत्तर के लिए**

**समेकित बाल सुरक्षा योजना के अन्तर्गत बाल कल्याण**

+758. श्री रघुनन्दन शर्मा :

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : सरकार द्वारा समेकित बाल सुरक्षा योजना (आई सी पी एस) के अन्तर्गत बाल कल्याण को बढ़ावा देने के लिए

 क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ख) : समेकित बाल सुरक्षा योजना (आई सी पी एस) के अन्तर्गत लाभान्वित हुए बच्चों की संख्या कितनी है ;

(ग) : सरकार ने सरकार-सिविल सोसाइटी सहभागिता योजना के अन्तर्गत किन-किन संगठनों के साथ सहभागिता

 स्थापित की है ; और

(घ) : मध्य प्रदेश से लाभान्वित बच्चों की संख्या कितनी है तथा सरकार की वर्ष 2012 तक कितने बच्चों को

 लाभान्वित करने की योजना है ?

**उत्तर**

**श्रीमती कृष्णा तीरथ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

(क) : बच्‍चों हेतु, विशेषकर कठिन परिस्‍थितियों में रहने वाले बच्‍चों के लिए सुरक्षित माहौल बनाने के लिए अवसंरचना के सृजन तथा आवश्‍यक मानव संसाधनों के प्रबंधन हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय समेकित बालक संरक्षण स्‍कीम का क्रियान्‍वयन कर रहा है । देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्‍चों के लिए गृहों में सुधार, विशेष दत्‍तक ग्रहण एजेंसियों तथा मुक्‍त आश्रयों, की स्‍थापना और रखरखाव के लिए राज्‍य सरकारों/संघ राज्‍य प्रशासनों को वित्‍तीय सहायता दी जाती है । इसके अलावा, अन्‍य बातों के साथ-साथ आवश्‍यकता का आकलन, प्रशिक्षण और संचेतना, जागरुकता विकास इत्‍यादि सहित बच्‍चों को सेवा प्रदान करने के लिए विशेषरूप से नियुक्‍त स्‍टॉफ के साथ राज्‍य और जिला स्‍तरों पर समर्पित सेवा प्रदायगी संरचनाओं की स्‍थापना करने के लिए भी वित्‍तीय सहायता दी जाती है । इस स्‍कीम के अंतर्गत दत्‍तक ग्रहण,पालन-पोषण और पश्‍च-देखरेख के माध्‍यम से गैर-संस्‍थागत देखरेख पर विशेष ध्‍यान दिया जाता है । जम्‍मू व कश्‍मीर को छोड़कर सभी राज्‍यों ने स्‍कीम के क्रियान्‍वयन के लिए मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए हैं ।

(ख) : समेकित बालक संरक्षण स्‍कीम के विभिन्‍न घटकों के अंतर्गत वर्ष 2009-10 से कुल 1,81,353 बच्‍चे लाभान्‍वित हुए हैं ।

(ग) : चूंकि, यह एक केंद्रीय प्रायोजित स्‍कीम है, इसका क्रियान्‍वयन राज्‍य सरकारों/संघ राज्‍य प्रशासनों द्वारा किया जाता है और उन्‍हें निधियां निर्मुक्‍त की जाती है । दूसरी ओर राज्‍य सरकार/संघ राज्‍य प्रशासन स्‍वयं अथवा गैर-सरकारी संस्‍थानों के माध्‍यम से स्‍कीम के विभिन्‍न घटकों का क्रियान्‍वयन कर रहे हैं । तथापि, चाइल्‍ड लाइन सेवा, जो विपत्‍ति में पड़े बच्‍चों हेतु 24 घंटे टेलीफेान हैल्‍पलाइन है, का क्रियान्‍वयन के माध्‍यम से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वाराकिया जा रहा है। चाइल्‍ड लाइन इण्‍डिया फाउण्‍डेशन, मुम्‍बई सरकार- सिविल समाज भागीदारी के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसायटी है ।

(घ) : समेकित बालक संरक्षण स्‍कीम के विभिन्‍न घटकों के अंतर्गत वर्ष, 2009-10 से मध्‍य प्रदेश के कुल 741 बच्‍चे लाभान्‍वित हुए है ।मध्‍य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2012-13 में स्‍कीम के अंतर्गत 1567 बच्‍चों को लाभान्‍वित करने का प्रस्‍ताव रखा है ।

\*\*\*\*\*